विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	वन
अतांराकित प्रश्न संख्या	:	2163
उत्तर की तिथि	:	14.03.2022
विषय	:	खैर कटान।
प्रश्नकर्त्ता का नाम	:	श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	वन मन्त्री

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>प्रश्न</th><th colspan="3">उत्तर</th></tr>
<tr><td rowspan="6">क)</td><td rowspan="6">प्रदेश में 10 वर्षीय कटान योजना के अन्तर्गत जो क्षेत्र खैर के कटान के लिए खोले गए हैं, उन क्षेत्रों में जिला बिलासपुर के अन्तर्गत जंगलों से कितने खैरों के पेड़ काटे गए व इनकी डैमेज रिपोर्ट कितनी धनराशि की काटी गई; ब्यौरा दें; और</td><td colspan="3">प्रदेश में खैर के पेड़ों के कटान के लिए जिला बिलासपुर के स्वारघाट वन परिक्षेत्र के स्वाहन तथा स्वारघाट वन खण्ड व घुमारवीं वन परिक्षेत्र के पनियाला व हरलोग वन खण्ड 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए थे। उपरोक्त 4 वन खण्डों में पिछले तीन वर्षो (2019—20 से 01.02.2022 तक) में 124 खैर के पेड़ जंगलों से अवैध रुप से काटे हुए पाए गए तथा अवैध रुप से काटे गए पेडों की डैमेज रिपोर्ट के विरुद्ध मु0 81,300/—रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त की गई जिसका विवरण इस प्रकार हैः—</td></tr>
<tr><td>वर्ष</td><td>काटे गए पेड़ों की संख्या</td><td>डैमेज रिपोर्ट के विरुद्ध प्राप्त की गई धनराशि (रु0 में)</td></tr>
<tr><td>2019—20</td><td>16</td><td>81,300/—</td></tr>
<tr><td>2020—21</td><td>103</td><td>वर्ष 2020—21 तथा 2021—22 में काटे गये पेड़ों के मामलों में क्षतिपूर्ति रिपोर्ट नहीं काटी गई क्योंकि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई।</td></tr>
<tr><td>2021—22 01.02.2022 तक</td><td>5</td><td>यथोपरि</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>124</td><td>81,300/—</td></tr>
</table>

ख)	यह सत्य है कि सरकार द्वारा आम के पेड़ों को काटने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक प्रदेश में आम के पेड़ों को काटने के कितने मामले पकड़े गए तथा इन मामलों में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई; ब्यौरा दें?	जी हां। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ0एफ0ई0–बी0–ए0(3)–1/2017 दिनांक 08.02.2021 के अंतर्गत आम (जंगली प्रजाति) के पेड़ों के कटान पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। गत 3 तीन वर्षों (2019–20 से 01.02.2022 तक) में प्रदेश में आम के पेडों को काटने के 62 मामले पकड़े गये जिनमें 77 आम के पेड़ अवैध रुप से काटे हुए पाए गए। इन अवैध रुप से काटे गए आम के पेडों के सभी 62 मामलों में क्षतिपूर्ति रिपोर्ट काटी गई व मु0 1,92,156/– रुपये की प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त की गई जिसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार से है:–

वर्ष	पकड़े गए मामले	काटे गए आम (जंगली प्रजाति) के पेड़		जितने मामलों में क्षतिपूर्ति रिपोर्ट काटी गई	काटी गई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट की धनराशि (रु0 में)
		सं0	घनत्व		
2019–20	16	16	20.993	16	91,385
2020–21	21	30	77.503	21	37,022
2021–22 01.02.2022 तक	25	31	77.128	25	63,749
कुल	62	77	175.624	62	1,92,156

****